

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 342/2024

अनवान : -

1. पवन कुमार पुत्र इन्द्र पाल गोदारा जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. इन्द्र पाल गोदारा पुत्र स्व0 देवीलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. संदीप पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. रूकमा देवी पत्नी स्व0 देवीलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. रेशमा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. बुधवती पत्नी स्व0 बलवन्त जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. किरण पुत्री बलवन्त जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता वादी
परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 16/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 82/76 की कुल 13.7590 हैक्ट भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा के नाम दर्ज है। वादी के दादा देवीलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा देवीलाल का एक पुत्र बलवन्त का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जायज वारिसान है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 6 ने उक्त भूमि में जो भी हक हिस्सा है त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी 2 संख्या काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर



अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण देवीलाल व बलवन्त, शपथ पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा के नाम दर्ज है। वादी के दादा देवीलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा देवीलाल का एक पुत्र बलवन्त का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जायज वारिसान है जिनका उपरौक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 6 ने उक्त भूमि में जो भी हक हिस्सा है त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी 2 संख्या काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता सं० 82/76 की कुल 13.7590 हैक्ट भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा के नाम दर्ज है। वादी के दादा देवीलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा देवीलाल का एक पुत्र बलवन्त का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जायज वारिसान है जिनका उपरौक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 6 ने उक्त भूमि में जो भी हक हिस्सा है त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी 2 संख्या काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया

जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक देवीलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 82/76 की कुल 13.7590 हैक्ट भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक देवीलाल पुत्र बीरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 158/146 की कुल 12.267 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो की यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 342/2024
अनवान : -

1. पवन कुमार पुत्र इन्द्र पाल गोदारा जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. इन्द्र पाल गोदारा पुत्र स्व० देवीलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. संदीप पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. रूकमा देवी पत्नी स्व० देवीलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. रेशमा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. बुधवती पत्नी स्व० बलवन्त जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. किरण पुत्री बलवन्त जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 342 सन 2024 निर्णय दिनांक 16/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स० 82/76 की कुल 13.7590 हैक्ट भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक देवीलाल पुत्र बीरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स० 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स० 158/146 की कुल 12.267 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो की यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर